न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 97 / 2024

वादी :— जगदीश पुत्र हिम्मताराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी बेरा भादेली चैनपुरा की ढाणी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती / शुद्धि

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः—** 10/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4706 / 1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर आई हुई है, जो वादी व सहखातेदार चन्द्राराम की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार कानाराम पुत्र स्व. श्री भोलाराम, जाति सीरवी काग निवासी बिलाड़ा के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार कानाराम से वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 30.07.2001 को वादी व चन्द्राराम पुत्र श्री हिम्मताराम द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की। उक्त रजिस्टर्ड वैचाननामा टाईपिस्ट ढगलाराम चौधरी द्वारा टाईप करवाया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में टाईपिंग त्रुटिवश वादी के सही नाम जगदीश के स्थान पर अशुद्ध नाम जगदीशराम टाईप कर दिया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी वादी का अशुद्ध नाम जगदीशराम दर्ज किया गया। तब से वादी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अशुद्ध नाम जगदीशराम दर्ज चला आ रहा है, जबकि वादी का सही नाम जगदीश है। जिसके सम्बंध में गादी के निजी /सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, परिवार राशनकार्ड व बैंक डायरी की व वादी की राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 4559 / 2, 5811, 5812, 4725, 4705 / 1, 4726 / 4 की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादी का सही नाम जगदीश दर्ज है। वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज में वादी का सही नाम जगदीश दर्ज होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम जगदीशराम दर्ज होने से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं व ऋण इत्यादि को प्राप्त नही कर पा रहा है। वादी अपने सरकारी व निजी दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम जगदीशराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम जगदीश दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी द्वारा चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम जगदीशराम की जानकारी होने पर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी को वादी के अशुद्ध नाम जगदीशराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम जगदीश दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार घर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है अपितु माननीय न्यायालय समक्ष है। इसलिए वादी का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम जगदीशराम के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज मे दर्ज सही व शुद्ध नाम जगदीश के अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 30.07.2001 को वादी द्वारा खरीद करने से, उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में टाईपिंग त्रुटियश टाईपिस्ट ढगलाराम चौधरी द्वारा वादी का अशुद्ध नाम जगदीशराम टाईप करने से, रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम जगदीशराम दर्ज किये जाने से तथा उपरोक्त अशुद्धि की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने सरकारी व निजी दस्तावेज में दर्ज सही व शुद्ध नाम जगदीश के अनुसार चालु जमाबन्दी में दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने पर व इस हेतु माननीय न्यायालय ही सक्षम होने का कहने पर बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। . यह है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार चन्द्राराम पुत्र हिम्मताराम जो वादी का भाई है, उसे पक्षकार नही बनाया है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चन्द्राराम के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है व न ही प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा प्रभावित आदेश करने पर चन्द्राराम का हिस्सा प्रभावित नही होगा। इसलिए सहखातेदार चन्द्राराम प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही है। इसलिए चन्द्राराम को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4706/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम जगदीशराम पुत्र हिम्मताराम हिस्सा 1/2 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध बाम जगदीश पुत्र हिम्मताराम हिस्सा 1/2 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार दुरूस्त /शुद्ध किये जाने की डिक्री/आदेश फरमावे। मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 तहसील बिलाडा स्थित भूमि खसरा सं. 4706/1 रकबा 0.3236 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में वादी का नाम जगदीशराम दर्ज है। उक्त नाम जरिये रजि. बैचाननामा दिनांक 30.7.21 को कानाराम द्वारा बैचान करने पर जगदीशराम, चन्द्राराम पुत्र हिम्मताराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वादी के निजी/सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड इत्यादि व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 658, 1292, 557 मं नाम जगदीश दर्ज है। वादी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में जगदीशराम पुत्र हिम्मतराम के स्थान पर जगदीश पुत्र हिम्मताराम करवाना चाहता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि जवाब के पद सं. 1 में वर्णित खसरा की चालू जमाबंदी में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम जगदीशराम पुत्र हिम्मताराम हि. 1/2 जाति

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खारडिया(सीरवी) सा.देह खातेदार के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी / सरकारी दस्तावेज व खाता नकल के आधार पर शुद्ध नाम जगदीश पुत्र हिम्मताराम हिस्सा 1/2 जाति खारडिया (सीरवी) सा.देह खातेदार शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र जगदीश पुत्र हिम्मताराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 4706/1 ग्राम बिलाडा चक 3 की चालु जमाबंदी , प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड बैचाननामा कानाराम बहक चन्द्राराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड वादी, प्रदर्श 4 बैंक डायरी वादी, प्रदर्श 5 जनआधारकार्ड, प्रदर्श 6 पैन कार्ड वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड जगदीश पुत्र हिम्मताराम , प्रदर्श 2 पैन कार्ड जगदीश पुत्र हिम्मताराम, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड जगदीश पुत्र हिमताराम, प्रदर्श 4 पहचान पत्र जगदीश पुत्र हिम्मताराम, प्रदर्श 5 यूनियन बैंक की डायरी जगदीश पुत्र हिम्मताराम, प्रदर्श 6 ड्राईविग लाईसेन्स जगदीश पुत्र हिम्मताराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम जगदीश पुत्र हिम्मताराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम जगदीशराम पुत्र हिम्मताराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम जगदीश पुत्र हिम्मताराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने जगदीशराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान जंगदीश पुत्र हिम्मताराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 4706/1 रकबा 0.3236 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में जगदीशराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर जगदीश पुत्र हिम्मताराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
वादी :– जगदीश पुत्र हिम्मताराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी बेरा भादेली चैनपुरा की ढाणी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती / शुद्धि

राजस्व वाद संख्या :– 97 / 2024

निर्णय दिनांक :– 10/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 4706 / 1 रकबा 0.3236 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में जगदीशराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर जगदीश पुत्र हिम्मताराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा